


58

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग., राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक प-45/पीएण्डएम-11/परिपत्र/05/डी-328 दिनांक 26/12/12

परिपत्र नं. 8/2012-13


इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प.273/पीएण्डएम-11/रोड कट/10/डी-566 दिनांक 11.11.2010 के द्वारा रोड कट में प्राप्त राशि को (बजट मद 0059-लोक निर्माण कार्य, 80-सामान्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (04) रोड कट से प्राप्ति) राजकोष में जमा कराने के बाद रोड कट मद में राशि व्यय करने के लिए बजट आवंटन मद 3054-सड़क तथा सेतु, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, (04) रोड कट की मरम्मत, 21 अनुरक्षण एवं मरम्मत (आयोजना भिन्न) में कराने हेतु निर्देशित किया गया था। संबंधित विभाग/एजेंसी से रोड कट किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित विभाग से कार्य योजना की जानकारी कर प्राप्त राशि के विरुद्ध बजट आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करें। संबंधित विभाग/एजेंसी द्वारा रोड कट किये जाने के उपरान्त रोड कट की मरम्मत अधिकतम 50 दिन में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

  
मुख्य अभियन्ता(पथ)  
सा0नि0वि, राज0 जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.वि.वि., संभाग- .....(समस्त)।
2. अधीक्षण अभियन्ता सा.वि.वि. वृत्त- .....(समस्त)।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., खण्ड- .....(समस्त)

  
मुख्य अभियन्ता(पथ)  
सा0नि0वि, राज0 जयपुर